छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सी.बी.डी.कमर्शियल कॉम्पलेक्स टॉवर ''सी'' 6 फ्लोर सेक्टर 21
मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग) 492002

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 हेतु जिलों में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु ई–निविदा दस्तावेज

जिला–रायपुर, बिलासपुर, महासमुंद, जांजगीर–चांपा, बलौदाबाजार, सूरजपुर, जगदलपुर, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, सुकमा, जशपुर, बालोद, कांकेर, मुंगेली, बलरामपुर, कोण्डागांव, अम्बिकापुर, बीजापुर, मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर, सक्ती, सारंगढ़–बिलाईगढ़

सी.बी.डी. कमर्शियल कॉम्पलेक्स, टॉवर "सी", 6th फ्लोर,

सेक्टर 21, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग), 492002

कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु ई–निविदा

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 की विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
01	निविदाकार का नाम,पता एवं निविदा जमा/खोलने की तिथि	1
02	निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें परिशिष्ट –1	2 से 5
03	निविदाकर्त्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी बीड हेतु परिशिष्ट –2	6 से 7
04	कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु निविदा दर भाग (ख) वित्तीय बीड हेतु परिशिष्ट –3	8
05	निविदाकर्त्ता से संविदा का प्रारूप परिशिष्ट –4	9 से 11
06	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –5	12 से 17

1) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

प्रबंध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर

खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु ई–निविदा

1. निविदाकर्ता का नाम –श्री/सुश्री .....
2. निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम– .....
3. निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं. .....
4. निविदा फार्म का मूल्य – 5000.00 रूपये (कर सहित) (रूपये पांच हजार रूपये मात्र)
5. निविदा फार्म के मूल्य भुगतान का विवरण DD/ B.G NO.....दिनांक..... बैक का नाम.....

छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. द्वारा वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 के लिए ऑनलाईन ई–निविदा के माध्यम से कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है। ऑनलाईन ई–निविदा हेतु शेड्युल निम्नानुसार है :–

Bid start Date	19-07-2024	06.00 P.M
Bid Due Date	20-08-2024	05.00 P.M
Bid Open Date from	21-08-2024	12.00 P.M

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा दस्तावेज दिनांक 20-08-2024 को शाम 05.00 PM बजें तक ऑनलाईन जमा किया जा सकता है। निविदा दस्तावेज जमा करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया है। निविदाकारों को यह सुझाव दिया जाता है कि निविदा जमा करने की ऑनलाईन निर्देश एवं प्रकिया का विधिवत् अध्ययन कर ले एवं अंतिम समय के इंतजार किए बिना पर्याप्त समय पूर्व, निर्धारित प्रकिया पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा जमा किया जाना चाहिए ताकि अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में समस्या होने पर निविदा जमा करने में कठिनाई ना हो। अंतिम समय में साफ्टवेयर/कनेक्टीविटी आदि में तकनीकी समस्या आने के कारण ऑनलाईन निविदा दस्तावेज जमा नही हाने पर समयावृद्वि करने हेतु दावा आपत्ति, अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा और ना ही मैन्युअल निविदा स्वीकार की जावेगी।
3. निविदा प्रपत्र वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म की राशि रू 5000 (पांच हजार रूपये मात्र) किसी भी अनुसूचित बैंक से ''छ.ग राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित'' पेबल (Payable संबंधित जिला) के पक्ष में डी.डी. (डिमांड ड्रॉफ्ट) बनवाकर डी.डी की छायाप्रति ऑनलाईन प्रस्तुत की जानी होगी तथा डी.डी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा एवं रूपये 311/–(तीन सौ ग्यारह रूपये मात्र) बीड सबमिशन फीस वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in में निर्धारित लिंक में चिप्स के एकाउन्ट में ऑनलाईन के माध्यम से जमा किया जाना होगा।
4. निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले ही निविदाकार का ई प्रोक्युरमेंट वेबासाईट http://eproc.cgstate.gov.in में पंजीयन हो तथा डिजिटल सिग्नेचर (डीएससी) उपलब्ध हो यह सुनिश्चित हो।
5. यदि विपणन संघ द्वारा आमंत्रित निविदा को अपरिहार्य कारणो से निरस्त किया जाता है तो निविदा फार्म की राशि वापसी योग्य नही होगी।
6. प्रमाणित किया जाता है कि इस निविदा प्रपत्र में पृष्ठ कमांक **1** से **17** तक है जिसे ऑनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पदमुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय.....
जारी दिनांक .....

"परिशिष्ट–1"

निविदा निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनायें

निविदाकार, जिनके द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ के संबंधित जिला कार्यालय के अंतर्गत कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु ई–निविदा प्रस्तुत की जा रही निम्नानुसार नियमों एवं शर्तों का भली–भांति अध्ययन कर लेवें। यह दिशा निर्देश तथा शर्तें निविदा स्वीकृति की स्थिति में निष्पादित की जाने वाली संविदा के भाग/अंग माने जावेंगे:–

1. विपणन संघ द्वारा संबंधित जिला हेतु ऑनलाईन कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य के लिए ई–निविदा जारी की गई है। जिसमें एक तकनीकी बीड (निविदा दस्तावेज के भाग "क") एवं दूसरा वित्तीय बीड (निविदा दस्तावेज के भाग "ख") अलग–अलग है, जिसमें उल्लेखित वांछित दस्तावेजों को ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
2. निविदाकर्ता निविदा के परिशिष्ट–2 अनुसार अनिवार्य दस्तावेज की नोटरी से प्रमाणित/स्वः प्रमाणित प्रति स्केन कर ऑनलाईन संलग्न करें, यह सभी दस्तावेज संलग्न नहीं होने पर निविदाकार की निविदा अस्वीकार की जावेगी।
3. निविदाकर्ता अनिवार्य रूप से निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी बीड के साथ संलग्न करें :–
    1. निर्धारित अमानत राशि छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले के Demand Draft/ Bank Guarantee की छायाप्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करें। डी.डी./बी.जी. की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा ।
    2. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति द्वारा स्थानीय निकाय का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे।
    3. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का भविष्य निधि कोड़ नं. एवं विगत 03 वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में से किसी भी 01 वर्षो का कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत जमा रिटर्न की छायाप्रति।
    4. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का आयकर स्थाई लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड) एवं व्यवसाय संबंधित दो वित्तीय वर्षो 2021–22 एवं 2022–23 की आय कर विवरणी।
    5. भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    6. हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स के साथ तथा सूचीबद्ध किये गये हमालों के भविष्य निधि खाता नम्बर, ई.एस.आई.सी तथा ग्रुप इंशोरेंस सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    7. हमाल ठेकेदार को वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
    8. पूर्व वर्षो में काली सूची में दर्ज नही होने का घोषणा पत्र।
4. हमाल/ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को श्रम अधिनियम 1970 की धारा 12 (1) के तहत श्रम विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र टेन्डर प्राप्ति के पश्चात 07 दिवस में प्रस्तुत करना अनिर्वाय होगा।
5. निविदा 02 वर्ष तक वैध होगी। आवश्यकता पड़ने पर तीन–तीन माह के काल खण्ड में 01 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य होगा।
6. निविदाकर्ता के पास वैध भविष्यनिधि कोड होना अनिवार्य है। निविदाकर्ता को स्वीकृत दर के हिसाब से प्रत्येक माह मासिक बिल बनाकर माह के 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। बिल के साथ निविदाकर्ता द्वारा अपने भविष्य निधि कोड में भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये उसी माह के मासिक विवरणी की पावतीयुक्त कापी एवं हमालवार भविष्य निधि की जानकारी संलग्न करने पर ही बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा।

शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वर्षान्त पर वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा किये गये पावतीयुक्त कापी प्रस्तुत करने के पश्चात ही किया जायेगा। यदि कोड नं. नहीं है तो निविदा की शर्त कं. 9 की शर्तें प्रभावशील होगी।

7. निविदाकर्ता को कार्य कराने हेतु श्रमिक की व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी की आवश्यकतानुसार प्रतिदिन समयावधि में करनी होगी तथा उनके समस्त भुगतान की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। जिला विपणन अधिकारी अनुबंधित दरों से ही भुगतान करेंगे।

8. निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम नियमों एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त शासकीय नियमों का पालन करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

9. निविदाकार के पास न्यूनतम 20 हमालों का भविष्य निधि कोड नं. होना अनिवार्य है, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उक्त 20 हमालों से अधिक हमालों के लिये भविष्य निधि कोड नं. नहीं होने पर बिल से 24 प्रतिशत भविष्य निधि +1.61 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय = 25.61 प्रतिशत राशि काटकर पूर्व में ही भविष्य निधि आयुक्त द्वारा हमाली ठेकेदारों हेतु आबंटित कोड नं. में नियत अवधि (आगामी माह के 15 तारीख तक) जमा की जायेगी। ठेकेदार के पास ऐसे हमालों का कोड नं. नहीं होने तक उन्हें प्रत्येक माह बिल बनाकर प्रस्तुत करना होगा और बिल स्वीकृति के पूर्व हमालवार भविष्य निधि विवरण प्रस्तुत करने पर बिल स्वीकृति उपरांत 80 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जायेगा। शेष रोकी गई 20 प्रतिशत राशि का भुगतान वार्षिक विवरणी भविष्य निधि कार्यालय में जमा करने के पश्चात ही किया जायेगा तथा नियमानुसार निविदाकार के बिल से कर की कटौती की जावेगी।

10. वाहन से कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल हमाल ठेकेदार की होगी। उक्त हेतु केन्द्रों में पर्याप्त हमालों की उपलब्धता सफल हमाल ठेकेदार सुनिश्चित करेगा।

11. कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना में अनलोडिंग कार्य एवं स्टेकिंग कार्य अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

12. सफल हमाल ठेकेदार को जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार वाहनों में चिन्हाकिंत बारदाने गठान की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग करना होगा।

13. निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) अमानत राशि, छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. संबंधित जिले D.D/ B.G के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है एवं डी.डी./बी.जी की मूल प्रति निविदा की अंतिम तिथि पर संबंधित जिला कार्यालय में जमा किया जाना होगा तथा डी.डी./बी.जी की छायाप्रति एवं **उसका विवरण ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।**

14. सफल निविदाकार को निविदा के साथ रूपये 50,000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) छ0ग0राज्य सहकारी विपणन संघ के नाम से देय की अमानत राशि के अतिरिक्त 50,000.00 (पचास हजार रूपये) की डी.डी./बैंक गारंटी/एफडीआर. अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि बतौर जमा कराना अनिवार्य होगा, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य सफलतापूर्वक किये जाने के उपरांत कटौती सहित यदि हो तो, यह राशि वापसी योग्य होगी।

15. संघ द्वारा निर्धारित प्रारूप में दर्शित कार्य के अतिरिक्त समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य निविदाकर्ता को सम्पन्न कराना होगा, जिसकी दरें जो निविदा में स्वीकृत दर से अधिक न हो जिला विपणन अधिकारी एवं निविदाकर्ता के द्वारा आपसी सहमति पर तय की जावेगी।

16. निविदाकर्ता द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर संघ को होने वाली हानि के लिए निविदाकर्ता जवाबदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य स्रोतों से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह निविदाकर्ता के देयकों/अमानत राशि/सुरक्षा निधि से वसूल की जावेगी।

17. निविदा एवं अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा अग्रेतर समय के लिए निलंबित या निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. रायपुर के पास सुरक्षित होगा।

18. सहायक श्रमायुक्त एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा अन्य कार्यालय द्वारा वांछित जानकारी समय पर प्रस्तुत करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।
19. जिले में केन्द्रो एवं क्षमता की सूची संबंधित जिला कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।
20. विपणन संघ के केन्द्रों में कार्य होने पर ही आवश्यकतानुसार कार्य निविदाकार को दी जा सकेगी। किन्हीं परिस्थितिवश किसी केन्द्र में आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में कार्य देना अनिवार्य नहीं है, इसके लिए किसी प्रकार से बाध्यता/हर्जाना मुआवजा देय नहीं होगा ।
21. निविदाकार को अपने हमालों की बीमा हेतु कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत बीमा कर, निविदा स्वीकृत होने के पश्चात या कार्य आरंभ करने के पूर्व जिला विपणन अधिकारी, मिल के प्रबंधक या भंडारण केन्द्र के प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जब तक निविदाकार कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की बीमा की प्रति प्रस्तुत नहीं करेगा, उसे कार्य आरंभ नहीं करने दिया जायेगा।
22. निविदाकार को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अन्तरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
23. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मध्यस्थ का निर्णय दोनो पक्षो को मान्य होगा।
24. निविदाकर्ता द्वारा कार्य की उपेक्षा अथवा अनुबंध के अधीन सेवाओं में कुशलता से निष्पादित न करने अथवा उनके द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर विपणन संघ को हुई हानि अथवा विपणन संघ द्वारा उठाये गये प्रभार लागत अथवा खर्चे की दावे की कुल राशि विपणन संघ द्वारा उस राशि से काट ली जावेगी जो विपणन संघ के साथ किये गये इस अनुबंध अथवा इसके बाद किसी भी समय निविदाकर्ता को देय होगी। यदि विपणन संघ द्वारा निविदाकर्ता को दी जाने वाली पूर्वोक्त राशि कम पड़ती है तो दावा की गई और निविदाकर्ता से वसूल की जाने वाली कुल राशि की शेष राशि निविदाकर्ता द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति में से काट ली जावेगी। यदि विपणन संघ द्वारा व्यय की गई कुल राशि के पूर्ति के लिए यह राशि अपर्याप्त रहती है तो दावा की गई पूर्वोक्त राशि का शेष भाग मांगे जाने पर निविदाकर्ता को अदा करना होगा अन्यथा विपणन संघ कानूनी कार्यवाही कर मय खर्चे के उक्त राशि वसूल कर सकेगा।
25. यदि निविदाकर्ता द्वारा अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है एवं निविदाकर्ता द्वारा यदि स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए विपणन संघ स्वतंत्र रहेगा तथा **उसकी अमानत राशि राजसात होने के साथ उसे विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाला जावेगा।** इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
26. निविदाकार के किसी भी कृत्य से होने वाली नुकसानी निविदाकार के विरूद्ध भू–राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।
27. पूर्व वर्षो में काली सूची में दर्ज एवं विपणन संघ के बकायादार निविदा में भाग नहीं ले सकेगें, किन्तु बकायादार द्वारा विपणन संघ की बकाया राशि मय ब्याज में जमा करने के पश्चात् निविदा में भाग ले सकेगे।

28. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकाय द्वारा अधिरोपित समस्त लागू एवं निविदा अवधि के दौरान प्रभावी किये जा सकने वाले उपकर/कर की भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि निविदाकार देने में आनाकानी करें तो उनके बिल से कटौती कर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या स्थानीय निकाय जैसा भी हो, के निर्देशानुसार जमा कर दी जायेगी। निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।

29. जिन निविदाकारों के पूर्व वर्षों में निविदा स्वीकृत कर अनुबंध निष्पादित किया गया था एवं उनके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया अथवा उनके द्वारा अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं किया गया वे निविदाकार निविदा हेतु अपात्र होंगे।

30. निविदाकारों द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय बीड के लिये प्रस्तुत किये जा रहे दस्तावेज/सहपत्र के लिये संलग्न किये गये दस्तावेज हमारे ज्ञान/संज्ञान के अनुसार समस्त दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध एवं प्रमाणिक है। इनकी वैधता/सत्यता के संबंध में किसी भी प्रकार के विवाद के लिये निविदाका पूर्णरूप से जवाबदार होंगे। निविदाका द्वारा प्रस्तुत वित्तीय बीड स्वीकार होने पर निविदाका द्वारा तकनीकी बीड में ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये समस्त प्रमाणपत्र, दस्तावेज की मूल प्रति तथा स्वप्रमाणित प्रति संघ द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करूंगा।

31. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन/शुद्धि पत्र जारी किया जाता है वह निविदा का भाग माना जावेगा जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अथवा विपणन संघ की वेबसाईट में अपलोड किया जावेगा। निविदाकार संशोधन/शुद्धि पत्र की जानकारी विपणन संघ/ई–प्रोक्युरमेंट छ.ग. की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है।

32. निविदाकार के दिवालिया होने अथवा अनुबंध के किसी भी प्रावधान या अनुबंध के किसी भी नियम व शर्तों के पालन करने का अधिकार होगा तथा अनुबंध की शेष समयावधि में रिस्क एण्ड कॉस्ट के तहत निविदाकार से शेष अनुबंध अवधि में विपणन संघ को हुई हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।

33. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 5)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/ संचालक/ भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम.....

पता :.....

लायसेंस क.....

भविष्य निधि कोड नं. .....

''परिशिष्ट 2''

भाग – ''क''

(तकनीकी बीड हेतु)
निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी,
.....छ.ग.

महोदय,

1.हमारा/मेरा अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	**विवरण**	
1.	निविदाकर्ता का नाम– श्री/सुश्री	
2.	निविदाकर्ता के पिता/पति का नाम–	
3.	निविदाकर्ता के प्रतिष्ठान का नाम एवं पता तथा मो.नं.	
4.	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का पंजीयन प्रमाण पत्र	
5.	व्यवसाय की आयकर स्थाई लेखा संख्या	
6.	भविष्य निधि कोड संख्या	
7.	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का भविष्य निधि कोड़ नं. एवं विगत 03 वर्षो (2020–21, 2021–22 एवं 2022–23) में से किसी भी 01 वर्ष के जमा रिटर्न की छायाप्रति।	
8.	ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति का व्यवसाय संबंधित दो वित्तीय वर्षो 2021–22 एवं 2022–23 की आय कर विवरणी।	
9.	भागीदार फर्म होने की स्थिति में भागीदार विलेख की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि। रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी द्वारा जारी जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।	

10.	हमाल ठेकेदार/फर्म/व्यक्ति को न्यूनतम 20 हमालों की सूची लाइसेन्स के साथ तथा सूचीबद्ध किये गये हमालों के भविष्य निधि खाता नम्बर, ई.एस.आई.सी एवं ग्रुप इंशोरेंस सहित विवरण संलग्न करना अनिवार्य होगा।	
11	वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करे।	
12	निर्धारित जमा की गई अमानत राशि का विवरण	रूपये कुल
		डी.डी/बी.जी नं. .....
		बैंक का नाम
13.	पूर्व वर्षो में शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में काली सूची में दर्ज नही होने का घोषणा पत्र।	
14.	वर्तमान तथा पूर्व वर्षों में अगर विपणन संघ का कोई कार्य किया गया हो तो उसका विवरण	
15.	इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची	

हम/मैं इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियां मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक .....

स्थान .....

हस्ताक्षर .....

नाम .....

फर्म का नाम .....

पूरा पता .....

हैसियत .....

मुहर .....

परिशिष्ट–3

भाग – "ख"

सरल क्रमांक.....

जिला में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु निविदा फार्म

वित्तीय बीड हेतु

द्वारा :–
मेसर्स.....
.....

दूरभाष :–कार्यालय.....
निवास.....

प्रति,

जिला विपणन अधिकारी
छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या.,
जिला.....(छ.ग.)

महोदय,

आपके द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 में जिला में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु आमंत्रित निविदा के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार कार्यों हेतु नीचे दिये अनुसार दरें दी जा रही है :–

क्रमांक	कार्य	विवरण	दर रूपये में (प्रति गठान)
1.	कंटेनर से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग	03 क्विंटल तक का गठान का	

उपरोक्त प्रस्तुत दर में वैधानिक देयताएं यथा ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. तथा प्रचलित कर (जी.एस.टी.) सम्मिलित है। नियोजित कर्मियों को वैधानिक देयता जैसेः– भविष्य निधि, ई.एस.आई, ग्रैच्युटी, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जी.एस.टी. इत्यादि का भुगतान के लिए स्वीकृत निविदाकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

मेरे द्वारा उपरोक्त दरें, आपकी समस्त निविदा शर्तों को मान्य करते हुए दी गई है।

संलग्न :– निविदा की शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकर्ता का पूरा नाम.....
व पता (आई.डी.प्रुफ सहित).....
लेबर कान्ट्रेक्ट लायसेन्स नं.....
सील (यदि हो)

"परिशिष्ट–4"

संविदा हेतु निर्धारित प्रारूप

(रू. 100/– के नॉन जूडिशियल पेपर पर यह अनुबंध होगा)

आज दिनांक .....दिन.....को यह अनुबंध पत्र छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., जिला विपणन अधिकारी.....जिला.....(छ.ग.) जिसे आगे चलकर "विपणन संघ" कहा जावेगा "पक्ष कमांक–1 तथा मेसर्स ....पक्ष कमांक–2" के मध्य किया जा रहा है :–

1. यह कि, पक्ष क. 1 द्वारा खरीफ वर्ष 2024–25 एवं 2025–26 **(दो वर्ष तक)** में कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु पक्ष क. 2 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर दर स्वीकृत की गई है, जो संलग्न है। दर का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	कार्य	विवरण	दर रूपये में (प्रति गठान)
1.	कंटेनर से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग	03 क्विंटल तक का बारदाना गठान	

2. यह कि, पक्ष क. 2 संविदा अवधि / /2024 से / /2026 (02 वर्ष) तक कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य के लिए वचनबद्ध है, आवश्यकता पड़ने पर तीन–तीन माह के काल खण्ड में 01 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है, इसे मानने हेतु निविदाकार बाध्य होगा।
3. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य करने हेतु हमालों का नाम, पिता का नाम तथा पता सहित पक्ष क. 2 को पक्ष क. 1 के पास प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह कि, पक्ष क. 2 को पक्ष क. 1 द्वारा जो भी कार्य सम्पन्न करने हेतु कहा जावेगा उसे समयावधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में पक्ष क. 1 द्वारा अन्य स्त्रोतों से कार्य कराया जावेगा, जिससे होने वाली हानि पक्ष क. 2 से वसूल की जावेगी।
5. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु स्वीकृत दर से माह में किये गये कार्य का माहवार देयक माह समाप्त होने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर पक्ष क. 1 को प्रस्तुत करेगा, जिसे एक सप्ताह के भीतर परीक्षण कर पक्ष क. 1 द्वारा भुगतान किया जावेगा।
6. यह कि, पक्ष क. 2 को समय–समय पर कार्यानुसार कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य हेतु हमाल की अतिरिक्त व्यवस्था जिला विपणन अधिकारी के निर्देशानुसार समयावधि में करना अनिवार्य होगा तथा उसके समस्त दायित्व की जिम्मेदारी पक्ष क. 2 की होगी।
7. यह कि, निविदा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों पर लागू सभी श्रम कानूनों जिसमें बोनस नियम, भविष्य निधि नियम एवं समय–समय पर लागू होने वाले समस्त अन्य शासकीय नियम/अधिनियम का पालन करने की जवाबदारी पक्ष क. 2 की होगी।
8. यह कि, पक्ष क. 2 के पास भविष्यनिधि कोड तथा श्रम लाइसेंस, संविदा अधिनियम के तहत पंजीकरण होना आवश्यक है। समय–समय पर भविष्यनिधि कोड एवं श्रम लाइसेंस प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पक्ष क. 2 की होगी। समस्त श्रमिकों का भविष्य निधि नियमानुसार समयावधि भविष्य निधि आयुक्त को जमा करवाना तथा आवश्यक कानूनी अर्हताएँ पूरी करना आवश्यक अभिलेख संधारित करना पक्ष क. 2 की जिम्मेदारी होगी। श्रमिकों से संबंधित समस्त अभिलेख पक्ष क. 1 के मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा।

पक्ष क. 2 को आगामी माह की 15 तारीख तक भविष्यनिधि राशि जमा कराकर क्लीरेंस सर्टिफिकेट भविष्यनिधि कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उसके पश्चात ही आगामी भुगतान पक्ष क. 1 द्वारा किया जावेगा। समयावधि में नियम का पालन नहीं करने पर पक्ष क. 1 द्वारा इकरारनामा भी निरस्त किया जा सकता है तथा जमा अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।

9. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा प्रस्तुत देयक से नियमानुसार आयकर की कटौती पक्ष क. 1 द्वारा की जावेगी। पक्ष क. 2 को यदि सर्विस टैक्स की प्रोविजन लागू होते हैं तो सर्विस टैक्स की भुगतान की जिम्मेदारी पक्ष क. 2 की होगी और उसे अपने द्वारा घोषित दरों में यह विशिष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा कि इन दरों में सर्विस टैक्स भी शामिल है।

10. यह कि, निविदा के साथ दी गई अमानत राशि रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) पर कोई ब्याज देय नहीं होगी व पक्ष क. 2 द्वारा सम्पन्न करने पर श्रम आयुक्त एवं भविष्य निधि आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वापस किया जावेगा।

11. वाहन से कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना की अनलोडिंग एवं स्टेकिंग कार्य की सम्पूर्ण जवाबदारी सफल हमाल ठेकेदार की होगी। उक्त हेतु केन्द्रों में पर्याप्त हमालों की उपलब्धता सफल हमाल ठेकेदार सुनिश्चित करेगा।

12. कंटेनर के माध्यम से प्राप्त बारदाना में अनलोडिंग कार्य एवं स्टेकिंग कार्य अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त अन्य भुगतान देय नहीं होगा।

13. यह कि, पक्ष क. 2 को रूपये 50,000/–(रूपये पचास हजार मात्र) का अमानत राशि जो निविदा के साथ जमा की गई है, इसके अतिरिक्त अनुबंध के समय रूपये 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) की डिमांड डॉफ्ट/बैंक गारंटी/एफ.डी.आर. किसी अनुसूचित बैंक का सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।

14. यह कि, पक्ष क. 1 द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्वीकृत कार्य के अलावा समय–समय पर आवश्यकतानुसार जिला विपणन अधिकारी द्वारा निर्देशित कार्य पक्ष क. 2 को सम्पन्न करना होगा, जिसकी दरें जिला विपणन अधिकारी एवं पक्ष क. 2 के द्वारा आपसी सहमति से तय की जावेगी।

15. यह कि, अनुबंध अवधि में पक्ष क. 1 के पास केन्द्र में आवश्यकता होने पर ही हमाली का कार्य पक्ष क. 2 द्वारा किया जावेगा। यदि केन्द्र में आवश्यकता नहीं होने पर हमाली कार्य कराने की बाध्यता/मुआवजा पक्ष क. 1 द्वारा देय नहीं होगी।

16. यह कि संग्रहण केन्द्र में धान के स्टेक इस प्रकार लगाया जावे कि वह गिरे ना अर्थात् बारदाना गठान क्लॉक वाइस करके रखे जावें। यदि स्टेक लगाने के पश्चात् स्टेक भसकता अथवा गिरता है तो उक्त स्टेक को पुनः निःशुल्क लगाने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा।

17. यह कि, पक्ष क. 2 को कार्य आरंभ करने के पूर्व कर्मकार प्रतिकर अधिनियम 1923 के तहत बीमा की प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कार्य अवधि में कार्य के दौरान किसी श्रमिक को आघात पहुंचता है या मृत्यु हो जाती है तो उससे संबंधित हर्जाना पक्ष क. 2 को वहन करना होगा। इसमें पक्ष क. 1 की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

18. यह कि, पक्ष क. 2 द्वारा समयावधि में कार्य सम्पन्न नहीं कराये जाने पर होने वाली हानि के लिये पक्ष क. 2 जिम्मेदार होगा एवं उक्त कार्य अन्य श्रोत से कराया जाकर जो हानि की राशि होगी वह पक्ष क. 2 से वसूल की जावेगी, जो उसके द्वारा जमा राशियों या देयकों से भी काटी जा सकेगी।

19. यह कि, अनुबंध की अवधि का उल्लंघन यदि पक्ष क. 2 द्वारा की जाती है तो पक्ष क. 1 किसी भी समय बिना कारण बताये पक्ष क. 2 का अग्रेतर समय के लिए निविदा निरस्त करने का अधिकार प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर के पास सुरक्षित होगा, जिस पर कोई वाद किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकेगा।

20. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत की गई श्रमिकों की सूची अनुसार उपस्थिति शत्–प्रतिशत सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई श्रमिक अनुपस्थित रहता है तो उसके बदले में अतिरिक्त श्रमिक दिया जाकर आवश्यकतानुसार कार्य सम्पन्न कराया जावेगा।
21. यह कि, पक्ष क्र. 2 द्वारा प्रस्तुत श्रमिकों की सूची में कोई भी श्रमिक मिल प्रांगण अथवा मिल कार्य से संबंधित किसी भी क्षेत्र में अवांछनीय हरकतें करता है तो उसे तत्काल कार्य से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके लिए आवश्यक कानूनी कार्यवाही पक्ष क्र. 2 पर की जावेगी।
22. यह कि, पक्ष क्र. 2 निविदा की अवधि में प्रचलित समस्त नियमों और कानूनों का पालन करेगा जो कि सहकारिता और श्रम आयुक्त द्वारा प्रदत्त किया गया हो। पक्ष क्र. 2 द्वारा जाने अथवा अनजाने में नियमों का उल्लंघन की जवाबदारी पूर्णतः पक्ष क्र. 2 की रहेगी और ऐसे किसी अपकृत्य के लिये पक्ष क्र. 1 जवाबदार नहीं रहेगा। शासन द्वारा लागू समस्त विधियों, उपविधियों, नियमों को पालन करने का उत्तरदायित्व पक्ष क्र. 2 का होगा। पक्ष क्र. 2 को दिया गया कार्य अहस्तांतरणीय है और किसी भी दशा में अन्य पक्ष को अंतरित/हस्तांतरित नहीं होगा।
23. यह कि पक्ष क्र. 2 द्वारा अनुबंध निष्पादन नहीं किया जाता एवं स्कंध की मात्रा अथवा गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की हेराफेरी या गड़बड़ी की जाती है तो निविदाकर्ता के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने तथा उसकी अमानत राशि राजसात होने के साथ विपणन संघ में कार्य नहीं करने देने हेतु आगामी दो वर्षों के लिये काली सूची में डाली जावेगी। इस आशय की सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में भी विपणन संघ द्वारा किया जावेगा।
24. यह कि निविदा दस्तावेज में उल्लेखित सभी शर्तें अनुबंध का हिस्सा माना जावेगा।
25. निविदा की अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् भी अनुबंधित अवधि का यदि निविदाकार से श्रम विभाग अथवा भविष्य निधि विभाग का कोई भी लेनदारी/देयता शेष रहेगी, तो उक्त राशि संबंधित विभाग में जमा करने के लिए निविदाकार बाध्य रहेगा।
26. निविदाकार द्वारा केन्द्रों में किये गये बारदाना गठान को डंप दिनांक से सात दिवस के अंदर स्टेकिंग करेगा अन्यथा हमाल ठेकेदार से प्रति बोरा प्रति दिन 0.10 पैसे के मान से दण्ड वसूल किया जावेगा ।
27. हमाल ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्यरत हमालो का फोटो युक्त परिचय पत्र संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं जिला विपणन अधिकारी को सूची सहित प्रस्तुत करेंगा तथा जारी किए गए हमालों के परिचय पत्र हमाल ही संग्रहण केन्द्र में प्रवेश करेगा। बिना परिचय पत्र के किसी भी हमाल को संग्रहण केन्द्र प्रभारी/जिला विपणन अधिकारी द्वारा बिना अनुमति के प्रवेश नही दिया जावेगा।
28. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के मध्य निविदा की शर्तों, निविदा के पालन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर मध्यस्थता अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद मध्यस्थ को सौंपा जायेगा। मध्यस्थ प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित स्वयं या उनके द्वारा नामित कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
29. वित्त एवं योजना विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक/243/वि/ नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर एवं निविदाकार के मध्य "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) जो कि इस निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) संलग्न नहीं की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। "सत्यनिष्ठा संधि" (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है। (परिशिष्ट 5)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह सत्यनिष्ठा संधि (Integrity Pact) छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., मुख्यालय, रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।

हस्ताक्षर.....	हस्ताक्षर.....
पदनाम.....	पदनाम.....
(पक्ष क्र. 1)	(पक्ष क्र. 2)
सील.....	सील.....
साक्षी :–	**साक्षी :–**
हस्ताक्षर एवं नाम व पता	हस्ताक्षर एवं नाम व पता .....

परिशिष्ट – "5"

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20, between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri_____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri_____ Chief Executive Officer/Authorised Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/ Government Undertaking/ Partnership/Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment /Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favour or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER /SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/ SELLER/ CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favour, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favour or disfavour to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is the original Manufacture/Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favour of...

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalised Bank, promising payment of the guaranteed sum to the. (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid upto a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning any reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/ SELLER /CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/ PRINCIPAL shall not be required to assign any reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving any compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of _____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/ PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/ PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/ PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to *any* middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER /SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest/stake in the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. The BIDDER /SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/ SELLER/ CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. FALL CLAUSE

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9.6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/ PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e at **RAIPUR Chhattisgarh**.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In case BIDDER/SELLER /CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on.....

BUYER/PRINCIPAL

Name of the Officer
AUTHORISED SIGNATORY
Designation
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd

BIDDER/SELLER/CONTRACTOR

Witness

1) _____

2) _____

Witness

1) _____

2) _____